

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 17, गुरुवार, शके 1948- मई 07, 2026 Vaisakha 17, Thursday, Saka 1948- May 07, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 16, 2025

संख्या प.9(47)राज-1/2025-26684-Pt:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, डीडवाना कुचामन से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला डीडवाना कुचामन की तहसील मकराना के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढाणियां को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूलग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डीडवाना कुचामन / मकराना	गुढ़ा / परबतसर	दिरढाणी LG Code 83497	757.77	3066	वसुन्धरा नगर Vasundhara Nagar	78.44	1393	2	679.33

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरो की जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके

संधारण हेतु जिला कलक्टर, डीडवाना कुचामन को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।